

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 12/21-22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. कृष्णा महली वो 2. बुधराम महली वो 3. बिदई महली - विक्रेता  
श्री शान्ति तिर्की - क्रेता

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

20.09.21

## आदेश

आवेदक 1. कृष्णा महली पिता स्व० विश्वनाथ महली वो 2. बुधराम महली पिता स्व० धुमा महली वो 3. बिदई महली पिता स्व० सोमरा महली सभी ग्राम-बनकुली, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने शान्ति तिर्की पिता श्री मंगरा तिर्की ग्राम-सिलापाट, पो०-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बनकुली	172	26	107	0.10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0653066687 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 505 दिनांक 23.07.21 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अकला महली वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार अकला महली वगै० के नाम भूमि का रकबा 4.75 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.75 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छ हजार दो सौ पच्चास)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 4.64<sup>1</sup>/<sub>2</sub> एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. कृष्णा महली पिता स्व० विश्वनाथ महली वो 2. बुधराम महली पिता स्व० धुमा महली वो 3. बिदई महली पिता स्व० सोमरा महली को शान्ति तिर्की पिता श्री मंगरा तिर्की के साथ ग्राम बनकुली के खाता सं० 26 खेसरा संख्या 107 कुल रकबा 0.10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छ हजार दो सौ पच्चास)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।